न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–327 / 2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या–66 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट

04.06.2026 याचिकाकर्ता 1. धर्मवीर यादव उर्फ धर्मवीर कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के अंतर्गत दिनांक–04.04.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–126(2), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित अथमलगोला थाना कांड संख्या–66 / 2026, दिनांक–09.03.2026, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं, इनके द्वारा कथित अपराध–कारित नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, इन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है। प्राथमिकी के अनुसार कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोप अभियुक्त के विरूद्ध नहीं है। बीएनएस की धारा–109 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा–27 को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ है। आगे इनका कहना है कि, 'ऋण की राशि के लेन–देन के लिए विवाद' हुआ था, जिसे सूचक के द्वारा आवेदक एवं अन्य अभियुक्तों को इस केस में गलत फंसाया गया है। दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गया है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचक–रवि तुषार हैं, उनका कहना है कि, दिनांक–08.03.2026 को शाम करीब 07.30 बजे वह, अपने दुकान पर थे, तभी दो मोटरसाइकिल से सवार होकर चार व्यक्ति आए और फोनलेन से उनके उपर फायरिंग किए, जो उनके सिर के उपर से होकर चला गया और उनके दुकान को पार करते हुए बगल की गुमटी में फंस गया। वे लोग सूचक को गाली–गलौज करते हुए फायरिंग किए। जब, उसके द्वारा हल्ला किया गया तो वे चारों व्यक्ति जिनका नाम क्रमशः बब्लू यादव, पप्पु यादव, अरविंद यादव एवं धर्मवीर यादव है, भाग गए। ये सभी लोग जान मारने की नियत से सूचक के उपर गोली चलाए थे, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। इस कांड के पहले भी एक–बार और सूचक को देख लेने की धमकी दिया गया था। यह धमकी उसके दुकान पर आकर अभियुक्तों के द्वारा दिया गया था।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–327 / 2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या–66 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट
लगातार

04.06.2026

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कंडिका–6 में सूचक–रवि तुषार का ब्यान है, जिसमें उसने घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि, घटना के बाद घटनास्थल पर देखा गया तो वहां दो गोली का खोखा मिला, जो उसने अथमलगोला थाना को सुपुर्द किया। कंडिका–07 में साक्षी–दीपक सिंह का ब्यान है, उन्होंने भी गोली चलाए जाने एवं खोखा प्राप्त किए जाने की बात का समर्थन किया है, इसी प्रकार कंडिका–8 में साक्षी–सिंटु कुमार एवं कंडिका–9 में साक्षी–गौरव कुमार ने भी अपने ब्यान में कहा है कि, रवि तुषार के दुकान की तरफ से गोली चलने की आवाज सुनाई दिया तो उन्होंने देखा कि, गोली जान मारने की नियत से चलाया गया जो सूचक के सिर के उपर से पार करके चला गया और उसके दुकान को पार करते हुए बगल की गुमटी में जाकर फंस गया। पहले भी अभियुक्तों के द्वारा रवि तुषार को धमकाया गया था।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, प्रस्तुत जमानत आवेदन के साथ उभयपक्षों के द्वारा हस्ताक्षरित संधि–पत्र दाखिल किया गया है परंतु आवेदक के विरूद्ध आरोपित धाराएं शमनीय प्रकृति की नहीं है, इनके विरूद्ध जान मारने की आशय से गोली चलाने का आरोप है, जोकि गोली सूचक के सिर के उपर से पार करते हुए एक गुमटी में जाकर लगी।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. धर्मवीर यादव उर्फ धर्मवीर कुमार को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़